न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला शाहपुरा (राज.)

प्रकरण संख्या – 31/2024 पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1 मदन पिता भैरू कीर उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
2 शिवराज पिता उगमा कीर उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा

———(प्रार्थीगण)

बनाम

1 गणेश पिता रामनाथ कीर उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
2 छाउ पुत्री रामनाथ कीर उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
3 रामचन्द्र पिता रामनाथ कीर उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
4 रतन पिता नाथू कीर उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
5 कालू पिता रामलाल कीर उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
6 भवानी शकर पिता सकराम कीर उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
7 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकला जिला शाहपुरा

———(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता——— श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक – 15.03.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनाक 14.02.2024 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम कनेछनखुर्द पटवार गण्डल कनेछनखुर्द भू.अ.नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 218 के आ.न. 48, 55, 56 किता 3 रकबा 1.26 हैक्टयर, भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एव विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा सबधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनाक 14.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अत प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम कनेछनखुर्द पटवार गण्डल कनेछनखुर्द भू.अ.नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 218 के आ.न. 48, 55, 56 किता 3 रकबा 1.26 हैक्टयर,** भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक कनेछनकला को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पडौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एव तिथि बावत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा मे तथा मौके पर खडी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी मे ही पत्थरगढी की जावे। गुरतकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनाक 15.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकला, जिला शाहपुरा